न्यायालय सीनियर सिविल जज, हरिद्वार।
मूलवाद संख्या 354/2021
प्रकीर्ण वाद संख्या 32/2021
कम्प्यूटर संख्या –77/2022
केनरा बैंक बनाम मैमर्श रोक एन्अरप्राईजस प्रो0 अंजलि।

दिनांक 07.10.2023

प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता – श्री ओम कुमार सिंह।

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। वादी द्व ारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4ए अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम तथा 6ए अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन के तथ्य एकसमान होने के कारण माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा **रामप्रसाद एवं अन्य बनाम मोती सिंह एवं अन्य 2004।2। ए0आर0सी0 पेज सं0 530** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में एक साथ सुना गया। आदेश निम्नवत् हैः–

प्रार्थना पत्र संख्या 4ए व 6ए का निस्तारण

02. प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्तागण प्रपत्र संख्या 4क अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रश्नगत वाद में वादी के अधिवक्ता श्री ओमकुमार पैरवी करते चले आते हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा गलती से अपनी डायरी में प्रश्नगत वाद की तिथि 31.05.2022 नोट न करके 14.07.2022 नोट कर ली गयी थी, जिस कारण प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता दिनांक 31.05.2023 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और वाद अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 22.07.2023 को नकल सवाल के माध्यम से हुई, जिस कारण पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रार्थी की ओर से जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे। इसी आशय का आवेदन प्रार्थना पत्र 6ए में भी है, जिसमें दिनांक 31.05.2022 को मूल वाद संख्या 354/2021 में पारित आदेश रिकॉल करने तथा वाद पुनः अपने नम्बर पर कायम किये जाने की प्रार्थना की है।

03. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

04. विपक्षीगण को नोटिस भेजा गया। वे न तो उपस्थित आये, न ही कोई आपत्तियां प्रस्तुत की गयी है। दिनांक 17.10.2022 को एकपक्षीय रूप से सुने जाने का आदेश पारित किया गया। तर्को को सुनने के उपरांत न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी डायरी में गलत तिथि अंकित की गयी, जिस कारण नियत दिनांक 31.05.2022 को वादी तथा उसके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो

सके और वाद अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया, ऐसा प्रार्थी/वादी का कथन है। दिनांक 22.07.2022 को नकल प्राप्त होने के पश्चात् जानकारी होने पर वादी द्वारा वाद की पुनर्स्थापना हेतु प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, जो विलम्ब से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थनापत्र भी दिनांक 23.07.2022 को दिया गया है, जो कि देरी से प्रस्तुत किया गया है।

05. विधि का यह सुस्थापित सिंद्धात है कि मामले का गुण–दोष पर निस्तारण होना चाहिए। वर्तमान वाद में वादी गुण–दोष पर सुनवाई करना चाहता है। उसके विरूद्ध पारित निर्णय से उसे अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना जतायी गयी है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि वाद में उसके बहुमूल्य हित निहित है अतः वाद का निस्तारण गुण–दोष पर होने से ही वाद में अन्तर्वलित तथ्यों का निराकरण हो सकेगा। अतः जहां तक देरी का प्रश्न है, तो उसकी पूर्ति हर्जाना अध्यारोपित कर की जा सकती है। दिनांक 26.05.2023 को वाद में उभयपक्ष अनुपस्थित थे। न्याय की मंशा है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाये। तद्नुसार आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र 6ए स्वीकार किये जाने योग्य है तथा वाद अपने मूल नम्बर पर कायम होने योग्य है।

06. तद्नुसार प्रार्थी/वादी का आवेदन पत्र संख्या 4ए व 6ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र कागज संख्या 4क अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम रुपये 1500/– हर्जे पर स्वीकार करते हुए, कारित विलम्ब को माफ किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र 6ए अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। हर्जे की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार में जमा कराना सुनिश्चित करें । हर्जा अदायगी के उपरान्त पत्रावली अपने मूल नम्बर पर कायम हो। प्रकीर्ण पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। प्रकीर्ण वाद से संबंधित इजराय पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो। एन.जे.डी.जी. पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

(राहुल कुमार श्रीवास्तव)
सिविल जज, सीनियर डिवीजन
हरिद्वार।